प्रभारी मंत्री ने मेताली शिविर का किया औचक निरीक्षण

डूंगरपुर, (निसं)। जिला प्रभारी मंत्री एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराडी ने गुरुवार को मिताली में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में मौजूद ग्राम वासियों से सीधा संवाद कर योजनाओं से लाभान्वित होने की जानकारी ली। उन्होंने शिविर प्रभारी से शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं प्रगति की जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने उपस्थित जन को सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक कार्ड योजना, सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान, फसल बीमा योजना, 1962 पशुओं के लिए एंबुलेंस, मंगल पशु बीमा योजना, बैलों से खेती में सहयोग राशि योजना, धरती अंबा अभियान आदि अनेक जनकल्याण योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों से जागरूक रहकर पात्रता अनुसार योजनाओं से लाभान्वित होने की बात कहीं। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम वासियों को योजनाओं की पूरी जानकारी देने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देशदिए। शिविर में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाडियों ने शिविर प्रगति की जानकारी देते हुए शिविर में फार्मर रजिस्ट्री 36, किसान एप डाउनलोड122, 136 केस में तामील करवाने, आपसी सहमति से बंटवारा दो, नामांकरण 15, स्वामित्व पट्टे वितरण, मूल निवास दो, शुद्धिकरण 21, मंगल पशु बीमा 25, आत्मनिर्भर भारत गरीबी मुक्त अभियान में परिवारों के सर्वे स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय हेतुआवेदन, वृक्षारोपण आदि की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि फसल खराब में भी सरकार द्वारा नियम अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी क्योंकि किसानों की पीडा हमारी पीडा है। उन्होंने सिकल सेल स्क्रीनिंग के भौतिक सत्यापन के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने बरसात में मकान गिरने एवं जानमाल की हानि आदि की जानकारी ली जिस पर तहसीलदार ने मकान गिरने की एक मामले में रिपोर्ट आने तथा प्रक्रिया में होने की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री खराडी ने आईसीडीएस विभाग के माध्यम से गोद भराई करवाई तथा परिसर में वृक्षारोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया।कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराडी ने पालनहार योजना के अंतर्गत मोगरीध्देवीलाल पटेल आपको पालनहार योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र देकर लाभान्वित किया वहीं बबीता देवी कटारा, जीजा कटारा, हुकी देवी पटेल, सरिता पटेल,सूर्या देवी, संगीता,हकरी कलासुआ, फुलकीदेवी, पानू कलासुआ, कमला देवी कटारा को मंगल पशु बीमा पॉलिसी वितरण कर लाभांवित किया। इस अवसर पर सरपंच काजल देवी, तहसीलदार कमलेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार जिया उर रहमान, विकास अधिकारी डूंगरपुर,समाजसेवी कांतिलाल खराडी, सूर्यवीर सिंह चौहान, बाबूलालप्रजापत, गट्टू भाई, मोहन भाई, नाथूराम वार्ड पंच, सहित समस्त अधिकारी गण एवं बडी संख्या में ग्राम वासी मौजूद रहे। वमासा गुरुवार को ग्राम पंचायत वमासा में आयोजित शिविर में पहुंचे प्रार्थी कांतीलाल उपाध्याय ने शिविर प्रभारी को पीएम फसल बीमा योजना के तहत लाभ नहीं मिलना के बारे में अवगत कराया।

इस पर शिविर प्रभारी द्वारा तत्काल कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों से तथ्यात्मक जानकारी ली तथा नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रार्थी की खरीफ -2०25 में हुए फसल खराबें के लिए बीमा पोलिसी वितरित की गयी।इसी प्रकार शिविर में पहुंचे प्रार्थी प्रभु पुत्र लालू मीणा ने शिविर प्रभारी को अवगत कराया कि राजस्व रिकॉर्ड में पिछले 2० वर्षो से प्रार्थी का नाम प्रभु पुत्र लालू की जगह धुला पुत्र लालू दर्ज है तथा शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर शिविर प्रभारी ने पटवारी हल्का वमासा, भू अभिलेख निरीक्षक सरोदा को नियमानुसार रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश प्रदान किए एवं नायब तहसीलदार निखिल व्यास द्वारा भी रिकॉर्ड परीक्षण किया गया।

पटवारी और एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा सेटलमेंट जमाबंदी से लेकर वर्तमान जमा बंदियों एवं प्राप्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रार्थी का संपूर्ण दस्तावेजों में नाम प्रभु पुत्र लालू होना पाया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा तुरंत कार्यवाही कर आदेश जारी कर नामांतरण दर्ज करवा कर जमाबंदी की प्रतिलिपि दी गई। ग्रामीण सेवा शिविर काश्तकार का 2० वर्षो से चल रही राजस्व अशुद्धि का समाधान किया गया। इस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व टीम का आभार व्यक्त किया गया तथा सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नकदी व जेवरात चोरी, मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। सविना थाना क्षेत्र में स्थित दो अलग अलग मकानों के ताले तोड़ कर चोर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित बड़ा सागवाड़ा डूंगरपुर हाल गितांजली चिकित्सालय परिसर क्वार्टर निवासी ललित पाटीदार ने सविना पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 7 अक्टूबर दोपहर में आए अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़ कर सोन की अंगूठी, चेन व करीब 20 हजार रूपये नकदी चुरा ले गए। वारदात का पताचलने पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया। इसी तरह केजड़ सराड़ा हाल समता विहार तितरड़ी निवासी मणीलाल कलाल ने प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 8 अक्टूबर को मकान पर ताला लगा गांव गया था।

मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले रिसोर्ट संचालक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। जानकारी के अनुसार पीडिता ने आरोपी स्वर्णगढ रिसोर्ट संचालक हर्षवर्धन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।

हाइवे व ब्रिज बनाने वाली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी पर आयकर का छापा

उदयपुर,(कासं)। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने नेशनल हाइवे और ब्रिज बनाने वाली नामी और बड़ी ठेकेदार कंपनी उदयपुर की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी पर गुरूवार सुबह छापेमारी की है।

जानकारी के अनुसार सुबह छह बजे आयकर विभाग की करीब 40 से अधिक टीमों ने एक साथ जीआर इंफ्रा के राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर सहित दिल्ली, गुजरात, यूपीए एमपी और हरियाणा स्थिति 40 ठिकानों पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अलसुबह हुई कार्रवाई से जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी से जुडी दूसरी बड़ी कंपनियों, व्यवसायियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरी कार्रवाई राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के संयुक्त निदेशक अवधेश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। जानकारी के अनुसार इस सर्च ऑपरेशन में 200 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। कंपनी के प्रबंधकों और निदेशकों से दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज और डिजीटल डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बड़े स्तर पर अघोषित संपत्ति के खुलासे की संभावना है।

कार्यालय नगर परिषद् सलूम्बर,जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांक:-न.प.स./तामीर/ 2025-26/1549 दिनांक : 8/10 /2025

-:उजरदारी सूचना:-

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत)

सर्व साधारण एवं आम-खास को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा व्यावसायिक/मिश्रित भुखण्ड पर ऑनलाईन तामीर स्वीकृति चाही गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम आवेदनकर्ता	भुखण्ड के पडौस
01	श्री विवेक जैन पिता श्री महिपाल जी जैन निवासी गाँधी चौक सलुम्बर भूखण्ड का स्थान:-राजस्व ग्राम करगेटा सलूम्बर	पूर्व-श्री प्रकाश चन्द्र कचोरिया का भूखण्ड पश्चिम-कॉलोनी का आम रास्ता उत्तर-रास्ता एवं सावरिया स्टोन। दक्षिण-उदयपुर-सलूम्बर मुख्य मार्ग
02	श्रीमति कोमल मीण्डा पत्नि श्री विवेक मीण्डा निवासी सलूम्बर भूखण्ड का स्थान:-राजस्व ग्राम करगेटा सलूम्बर	पूर्व-अन्य का मकान पश्चिम-श्री जाकिर हुसैन खेडावाला का मकान व दुकान उत्तर-मुख्य मार्ग उदयपुर-सलूम्बर दक्षिण-आम रास्ता 20 फिट

अत: उक्त व्यक्तियों के नाम आवेदन अनुसार नगर परिषद् द्वारा ऑनलाईन तामीर स्वीकृती की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की कोई भी आपत्ति/उजरदारी हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी प्रकार की उजरदारी/आपत्ती मान्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगरपरिषद् सलूम्बर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक F.12( )/Sales/Allot/2025/1145 **आम-सूचना** दिनांक:- 09/10/2025

आवेदनकर्ताओं द्वारा अपने भूखण्डों का प्रस्तुत वारिसाना / विक्रय पत्रों के आधार पर अपने नाम नामान्तरण / लीजडीड किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गफीट	योजना का नाम/ ब्लॉक	आवेदक का नाम /पिता का नाम	आवेदन पत्र
1.	439 Block-B	968.40 वर्गफीट	श्याम नगर योजना	श्री कन्हैयालाल कलाल पिता स्व. श्री तुलसीराम कलाल, श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी स्व. श्री तुलसीराम कलाल, श्री रमेश चौधरी पिता स्व. श्री तुलसीराम कलाल, भावना चौधरी पुत्री स्व. श्री तुलसीराम कलाल	आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2009 को श्री श्री तुलसीराम कलाल के नाम जारी किया गया। श्री तुलसीराम कलाल का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2015 को हो जाने से इनके विधिक वारिसान श्रीमती रूकमणी बाई (पत्नी), श्री कन्हैयालाल एवं श्री रमेश चौधरी (पुत्र) एवं भावना चौधरी (पुत्री) है। वारिसान के आधार पर अपने नाम नामान्तरण कराने का निवेदन किया गया है।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्डों का प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण /लीजडीड जारी करने के संबंध मे यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो वो अपनी मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण / लीजडीड जारी की जा सकेगी। **(शैलेन्द्र सरैया R.A.S.) प्राधिकृत अधिकारी, बिक्री शाखा, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर**

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.)

विद्युत भवन, पटेल सर्कल, उदयपुर (राज.) - 313001

क्रमांक :- अविविनिलि/अ.अ./पवस/उदय./पत्रा.//2025-26/प्रे.287 दिनांक :- 24/09/2025

सूचना

श्री अजय रावत पुत्र स्व. श्री रामलाल मीणा, पद-वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय (प्रोबेशन ट्रेनी), कार्यालय सहायक अभियंता (पवस), अविविनिलि, सवीना, स्थायी पता-6-A-36, वीआईपी कॉलोनी, सेक्टर-9, उदयपुर (राज.) को सूचित किया जाता है कि वह बिना किसी सूचना या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये अपने कार्यस्थल से दिनांक 14.11.2023 से निरंतर अनुपस्थित चल रहे है। उनके द्वारा दिनांक 23.11.2023 को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अस्पताल की पर्ची एवं एक्स-रे रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में भिजवायी गयी थी लेकिन वह अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद उनके विरूद्ध राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमन-1962 के नियम 6 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 280 दिनांक 29.12.2023 द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये है। जिसके अनुसार उनके विरूद्ध मुख्य आरोप यह है कि वे बिना पूर्व सूचना के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छा से दिनांक 14.11.2023 से निरंतर कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे है। तत्पश्चात् कार्यालय सहायक अभियंता(पवस), अविविनिलि,सवीना के कार्यालय पत्र क्रमांक 2792/23.02.2024, 2897/13.03.2024, 925/14.05.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 372/27.02.2024, 416/28.03.2024, 70/21.05.2024, 163/11.07.2024 के द्वारा उन्हें कार्यालय में उपस्थित होने हेतू सूचित कराया गया। लेकिन वे कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः श्री अजय रावत, वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय (प्रोबेशन ट्रेनी) को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर अधीक्षण अभियंता (पवस),अविविनिलि,उदयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त आरोप पत्र के संबंध में अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर दे। यदि उक्त अवधि के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर उनका लिखित अभिकथन प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है और बिना अन्य किसी सूचना के एक तरफा कार्यवाही प्रारंभ कर उचित आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगें।

अधीक्षण अभियंता (पवस)
अविविनिलि, उदयपुर

राज.संवाद/सी/25/11768

एमपीयूएटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आरम्भ करने वाला प्रदेश का पहला विवि बना

उदयपुर,०(कासं)। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्वयं का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आरम्भ करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। प्रसार शिक्षा निदेशालय परिसर में करीब ढाई वर्ष में बनकर तैयार हुए रेडियो स्टेशन का लोकार्पण कुलगुरू डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक ने किया। आमजन एमपीयूएटी प्रताप रेडियो 90.4 एफ.एम. पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुन सकेंगे। कम्युनिटी रेडियो पर खासकर उदयपुर जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के लिए किसानोपयोगी कार्यक्रम, फसलों में की बीमारी की जानकारी व उपाय, पशुपालन, उद्यानिकी, शूकर पालन,खेती-बाडी के साथ-साथ मनोरंजन, शिक्षा, समाजोत्थान के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जायेंगे। मुख्य अतिथि शहर विधायक ताराचन्द जैन ऑनलाइन जुडते हुए कहा कि यह सस्ता, सुलभ और सार्वभौमिक माध्यम है जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को जन-जन तक पहुंचाता है।

यह उन समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विधायक जैन ने एमपीयूएटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आरंभ होने पर खुशी व्यक्त की। अध्यक्ष कुलगुरू डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि बदलते दौर में रेडियो की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है बल्कि सच्चाई यह है कि गांवों से ज्यादा शहर में लोग रेडियो सुनते हैं। रेडियो तनाव को खत्म करने में सहायक है वहीं कृषि के क्षेत्र में इसकी उपादेयता बनी हुई है। किसानों की आय में वृद्धि व बच्चों के स्वस्थ्य मनोरंजन की दिशा में यह रेडियो स्टेशन मील का पत्थर साबित होगा। विशिष्ट अतिथि निदेशक अनुसंधान डॉ. अरविन्द वर्मा व पुर्व प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आर.ए. कौशिक ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से 25 किलोमीटर परिक्षेत्र में सीमावर्ती दूरदराज क्षेत्र के गांवों में प्रसारण हो सकेगा। आरंभ में प्रसार शिक्षा निदेशक, डॉ. आर.एल. सोनी ने कहा कि कुलगुरू डॉ. कर्नाटक की दूरदृष्टि व कुशल नेतृत्व प्रबन्धन के कारण ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहां स्थापित हो पाया। कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत सभी आठ कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख एवं कृषि वैज्ञानिक डॉ. योगेश कनोजिया, डॉ. सी.एम. यादव, डॉ. रतन लाल सोलंकी, डॉ. दीपा इंदोरिया, डॉ. सुनील जोशी, डॉ. लतिका व्यास, डॉ. सी.एम. बलाई, डॉ. बी.एस. भाटी, डॉ. बी.एल. रोत, डॉ. पी.सी. रेगर, डॉ. मनीराम आदि उपस्थित थे।

एमबी अस्पताल में मॉकड्रिल, मिली कई खामियां

उदयपुर,(कासं)। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आग से मरीजों की मौत के बाद राजस्थान के सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की जा रही है। उदयपुर में भी एमबी अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम और स्टाफ की अलर्टनेस के लिए गुरुवार को मॉक ड्रिल हुई।

मॉक ड्रिल के दौरान सुपर स्पेशिलिटी विंग के चौथे फ्लोर से मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मौके पर नगर निगम की तीन फायर ब्रिगेड की गाडियों ने आग को कंट्रोल करने की प्रेक्टिस की।

हॉस्पिटल में कुछ देर तक अफरा तफरी मचने के बाद माहौल शांत हुआ। अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को समय पर कार्रवाई और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

इस दौरान पूरे परिसर में एक काल्पनिक स्थिति तैयार कर मरीज और स्टाफ को आग के समय सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया की गई। इससे फायर बिग्रेड,हॉस्पिटल स्टाफ, क्यूआरटी और पुलिस की मुस्तैदी चेक की गई।

प्रारूप-13 (नियम-13 (2) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 5457 **लोक-सूचना** दिनांक: 7/10/2025

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में आया है कि राजस्व ग्राम आसोटिया खसरा सं.9 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में स्थित भूमि या पूर्व की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है/ किया गया है और इस लिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अत: उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लमंगो से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 7/10/25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

राशमी ग्राम पंचायत सरपंच ने तीन लाख की रिश्वत मांगी, मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पंचायत राशमी सरपंच के खिलाफ तीन लाख रूपये रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी रेंज उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रहलाद सिंह कृष्णिया के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रमसिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के सरपंच बंशीलाल रेगर के खिलाफ तीन लाख रूपये की रिश्वत मागने का प्रकरण दर्ज किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ पर 13 अगस्त को परिवादी ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि मेरे व मेरे भाई के निवासरत मकान के भुखण्ड एवं मेरे स्वर्गीय दादाजी के कब्जेशुदा भुखण्ड का पट्टा बनवाने के लिए हमारी ग्राम पंचायत राशमी के सरपंच बंशीलाल रेगर से संपर्क किया। इस पर उन्होंने पट्टे बनाने के लिए छह लाख रूपये रिश्वत की मांग की है। जिसका सत्यापन कराया गया तो राशमी ग्राम पंचायत के सरपंच बंशीलाल रेगर द्वारा परिवादी से 3 लाख रूपये रिश्वत मांगने एवं 1 लाख 50 हजार रूपये प्रथम किश्त के लेने की सहमत होने की पुष्टि हुई। जिस पर 15 अगस्त 2025 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही के लिए परिवादी को 1 लाख 50 हजार रूपये लेकर देने के लिए बंशीलाल रेगर के राशमी मकान पर भेजा। इस दौरान भनक लगने पर सरपंच मकान पर ताला लगा परिवार सहित गायब हो गया तथा अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर दिया। कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी। मामले में ब्यूरो मुख्यालय पर रिपोर्ट दी। इस पर ग्राम पंचायत राशमी चित्तौड़गढ़ के सरपंच बंशीलाल रेगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगड़ विक्रमसिंह परमार को सौंपी है।

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph.02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/भूमि/25/12819 दिनांक : 8/10/2025

-:आपत्ती सूचना:-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्ति द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर निम्नांकित भूखण्ड का उपविभाजन/एकीकरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सूचना प्रकाशन के तीन दिवस में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	आवेदित सम्पत्ति काविवरण	पडौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री मोहन लाल पालीवाल निवासी बागोल नाथद्वारा,	श्रीनाथ कॉलोनी पावटी रोड भू.सं.1, क्षै.-1662.50 वर्गफिट में से भू.सं.बी, क्षै.831.25 वर्गफिट	अन्य कृषि भूमि	30 फिट रोड	अन्य भूखण्ड	शेष भूखण्ड सं.-ए
2	श्री यशवंत बागोरा पिता श्री सुरेशचन्द्र बागौरा निवासी नया बाजार नाथद्वारा,	श्रीनाथ कॉलोनी पावटी रोड भू.सं.1, क्षै.-1662.50 वर्गफिट में से भू.सं.ए, क्षै.831.25 वर्गफिट	अन्य कृषि भूमि	30 फिट रोड	शेष भूखण्ड सं.-बी	30 फिट रोड

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

नये एचटी-उद्योग छूट और वृद्धीशील उपभोग छूट

नये उद्योग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

वृद्धीशील उपभोग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

एचटी सीपीपी (Co-Located) उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले पीओसी शुल्क निम्नानुसार हैं:-

सीपीपी प्रकार	पीओसी शुल्क (रू./केवीए/माह)
परम्परागत सीपीपी	रु. 27.237/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
अक्षय ऊर्जा सीपीपी	रु. 11.90/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
हाइब्रिड सयंत्र	उपर्युक्त दोनों परम्परागत और अक्षय ऊर्जा के अनुपात में

1. नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों को समानांतर संचालन शुल्क (पीओसी) से बाहर रखा जाएगा।
2. समानांतर संचालन शुल्क केवल ऑन-साइट/**co-located** लोड द्वारा खपत की गई बिजली तक ही सीमित होगा, ऑफसाइट सीपीपी पर नहीं और यह जनरेटर की शुद्ध क्षमता (**total capacity- open access capacity**) पर लागू होगा।
3. **Co-located** संयंत्रों पर, चाहे उनकी कैप्टिव स्थिति कुछ भी हो, पीओसी शुल्क **Co-located** भार के लिए उपयोग की गई क्षमता तक लागू होंगे। डिस्कॉम द्वारा सीपीपी के साथ किए गए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर कोई पीओसी शुल्क लागू नहीं होगा।

विनियामक अधिभार, ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) सहित निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है।

विवरण	(रू./यूनिट)
100 यूनिट/माह तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ता	0.70
बचे हुए घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पे लागू होगा।	1.00

- उपरोक्त नियामक अधिभार मय ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) आरईआरसी टैरिफ विनियम 2025 के विनियम 87 के अनुसार लगाया जाएगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिस्कॉम द्वारा **change in law** के कारण उत्पन्न अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए आयोग द्वारा दिनांक 01.09.2022 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमत 0.07 रुपये/यूनिट के विशेष एफएसए पर अलग से लिया जाएगा।

नोट :- वर्तमान में वह सभी प्रावधान जो कि इस आदेश में संशोधित नही किये गये है, लागू रहेंगे।

जेपीआर 3065(2025)
राज.संवाद/सी/25/11809

अधीक्षण अभियंता (रेगूलेशन)
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

NO-F-15( ) Hudco/2025/750 दिनांक: 9.10.25

आम सूचना

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रजनीश कुमार सुथार पिता श्री गजेन्द्र कुमार सुथार ने प्राधिकरण की हूडको शाखा में दिनांक 18.09.2025 को क्वार्टर संख्या F1-465 दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर (राज.) की लीज डीड जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस बाबत किसी को कोई उजर या एतराज हो तो अन्दर मयाद 7 दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में मय दस्तावेज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मयाद गुजरने उक्त क्वार्टर की प्राधिकरण आलेखों में श्री रजनीश कुमार सुथार पिता श्री गजेन्द्र कुमार सुथार के नाम पर लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी
हुडको शाखा
उदयपुर विकास प्राधिकरण ,उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.11( )/Regin-I/2025/1293 दिनांक : 9/10/25

आम - सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम शोभागपुरा के खसरा नम्बर 372/2 किता 1 रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि के अनुमोदित योजना प्लान में स्थित भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 2805 वर्गफीट के आवंटन/पट्टा जारी करने हेतु श्री दिनेश डांगी, श्री शंकरलाल डांगी पिता स्व. श्री रूपलाल डांगी, निवासी-शोभागपुरा, उदयपुर (राज.) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 01/05/2025 एवं 19/09/2025 के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंजीकृत हकत्याग-पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई हैं। वर्णित आराजियात के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 04/02/2016 से श्री रूपलाल पिता श्री भैरूलाल डांगी के नाम पारित किये गये है। वर्णित आराजी भूमि वर्तमान में राजस्व आलेखों में प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

श्री रूपलाल पिता श्री भैरूलाल डांगी की मृत्यु दिनांक 27/08/2019 को हो जाने से इनके विधिक वारिसानों श्रीमती हरकु बाई पत्नी स्व. श्री रूपलाल डांगी, श्रीमती पुष्पा डांगी पुत्री स्व. श्री रूपलाल डांगी (पत्नी श्री हिरालाल डांगी) एवं श्रीमती मधु पुत्री स्व. श्री रूपलाल डांगी (पत्नी श्री तुलसीराम) द्वारा जरिये पंजीकृत हकत्याग-पत्र (रिलीज डीड) दिनांक 28/09/2022 से उक्त भूखण्ड श्री दिनेश डांगी, श्री शंकरलाल डांगी पिता स्व. श्री रूपलाल डांगी के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

अतः वर्णित भूखण्ड का पट्टा - विलेख आवेदक श्री दिनेश डांगी, श्री शंकरलाल डांगी पिता स्व. श्री रूपलाल डांगी के पक्ष में किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति / फर्म इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें, अन्यथा इस अवधि उपरान्त पट्टा विलेख आवेदक के पक्ष में जारी किया जावेगा।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार) उपायुक्त
**उदयपु